रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72

REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 15] नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 9, 1985/पौष 19, 1906
No. 15] NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 9, 1985/PAUSA 19, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

नौवहन और परिवहन मंत्रालय

(पत्तन पक्ष)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 जनवरी, 1985

सा.का.नि. 15(अ).—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 132 की उपधारा (1) के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 124 की उपधारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार संलग्न सूची में उल्लिखित कांडला पत्तन कर्मचारी (गृह निर्माण के लिए अग्रिम देना) संशोधन विनियम 1985 को अनुमोदित करती है।

2. ये विनियम भारत के राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

टिप्पणी : केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित मूल विनियम भारत के राजपत्र में भाग II, खंड 3(1) दिनांक 29 सितम्बर, 1979 को सा.का.नि. 1217, दिनांक 15-9-79 के रूप में प्रकाशित हुए थे।

[फा.सं. पी डब्ल्यू/पी ई आर-11/84]

पी.वी. राव, संयुक्त सचिव

अनुसूची

कांडला पत्तन न्यास

प्रशासनिक कार्यालय,
पोस्ट बॉक्स सं० 50,
गांधीधाम-(कच्छ)

दिनांक :

सं० जीए/पोएस/2710

अधिसूचना

कांडला पत्तन का न्यासी मंडल, महा पत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 28 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन के साथ जो महा पत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 124 के अनुसार प्रकाशित हुए हैं निम्नलिखित विनियम बनाता है।

1. इन विनियमों को कांडला पत्तन कर्मचारी (गृह निर्माण के लिए अग्रिम देना) संशोधन विनियम, 1985 कहा जायें।

संशोधन

2. कांडला पत्तन कर्मचारी (भवन निर्माण के लिए अग्रिम अनुदान), विनियम, 1978 के विद्यमान विनियम 6(क), 6(ख), 6(घ), 7 और 9 के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायें :—

"6(क) बनाये/खरीदे जाने वाले मकान की लागत, भूखंड की लागत छोड़कर, निम्नलिखित सीमाओं तक प्रतिबंधित होगी

श्रेणी	लागत सीमा
(1) उन कर्मचारियों के लिए जिनका 100 माह का मूल वेतन रु. 80,000 तक है।	रु. 1.25 लाख
(2) उन कर्मचारियों के लिए जिनका 100 माह का मूल वेतन रु. 80,000/ से अधिक परन्तु रु. 1,70,000 तक	रु० 2.00 लाख
(3) उन कर्मचारियों के लिए जिनका 100 माह का मूल वेतन रु. 1,70,000 से अधिक है।	रु. 3.00 लाख

"6(ख) जहां कोई पोर्ट कर्मचारी (ने) इन विनियमों के अधीन अग्रिम प्राप्त करने के अतिरिक्त मकान/फ्लेट बनाने/प्राप्त करने या आवासीय प्लाट के संबंध में अपने सामान्य भविष्य निधि से अंतिम आहरण करता है या किया है तो इन विनियमों के अधीन स्वीकृत अग्रिम और सामान्य भविष्य निधि से आहरित राशि का योग कर्मचारी के मासिक वेतन आदि के 100 गुणे या रु. 1,25,000/ जो भी कम हो, से अधिक नहीं होना चाहिए।

"6(घ) अग्रिम की वास्तविक राशि अध्यक्ष द्वारा योजनाओं, विस्तृत विनिर्देशन और आवेदक द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले अनुमानों के आधार पर व्यक्तिगत रूप से आवेदित अग्रिम की राशि को न्यायोचित ठहराते हुए निर्धारित की जायेगी और जो निर्धारित सीमा के अन्दर निर्माण की अनुमानित लागत तक प्रतिबन्धित होगी। अग्रिम की राशि आगे भी ऐसी राशि से प्रतिबन्धित की जायगी जिसे कोई कर्मचारी अपनी सेवा निवृत्ति की तारीख से पूर्व भविष्य निधि के विशेष अंशदान से अंशतः या पेंशन योजना द्वारा शासित किसी कर्मचारी के मामले में अपने उपदान या मृत्यु व सेवा निवृत्ति उपदान से या अपने वेतन से वैयक्तिक आधार पर मासिक कटौतियों द्वारा चुका सकता है।"

"7 मकान बनाने/प्लाट खरीदने हेतु अग्रिम की ऐसी राशि जो मासिक वेतन के 100 गुणे की राशि से अधिक न हो जिसमें स्थानापन्न वेतन, मंहगाई वेतन, निजी वेतन और विशेष वेतन भी सम्मिलित है रु० 1,25,000/– की अधिकतम सीमा के अधीन अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की जा सकती है।

ब्याज :

"9 इन विनियमों के अधीन, तारीख 26 फरवरी, 1983, को और उसके बाद प्रदान किये गये अग्रिमों पर अग्रिम की अदायगी की तारीख से साधारण ब्याज लिया जायेगा, ब्याज की राशि प्रत्येक माह के अंतिम दिन बकाया शेषों पर परिकलित की जायेगी। किसी भी वर्ष में स्वीकृत अग्रिम पर देय ब्याज उसी दरों पर होगा जैसा भारत सरकार अपने कर्मचारियों से उस वर्ष में भवन निर्माण अग्रिम के लिए वसूल करती है। अग्रिम स्वीकृति के समय की ब्याज दर अग्रिम पूर्णतः चुकता होने तक अपरिवर्तित रहेगी। स्वीकृति प्राधिकारी के, स्वीकृति संबंधी सभी शर्तों की दशा में जिसमें पूर्णतः पूरी की गयी वसूली संबंधी शर्तें भी शामिल है, समाधान हो जाने पर बोर्ड के कर्मचारियों को बट्टा भी, जैसा कि केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को अनुज्ञ है, मिलेगा।

टिप्पणी:– ऐसे कर्मचारियों के लिए जो वन्ध्यीकरण के लिए इच्छुक हैं, ब्याज की दर तारीख 26, फरवरी, 1983 से ब्याज की सामान्य दर से आधा प्रतिशत कम होगी। यह रियायत निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी:–

(1) पोर्ट कर्मचारी प्रजनन आयु समूह के अन्दर होना चाहिए। ष पोर्ट कर्मचारी के मामले में इसका अभिप्राय होगा कि वह 50 वर्ष से अधिक नहीं है और उसकी पत्नी 20 वर्ष से 45 वर्ष की आयु के बीच है। महिला पोर्ट कर्मचारी के मामले में, वह 45 वर्ष से अधिक न हो और उसका पति 50 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए।

(2) पोर्ट कर्मचारी के दो या तीन जीवित सन्तानें होनी चाहिए।

(3) वन्ध्यीकरण आपरेशन हुआ हो और केन्द्रीय सरकार अस्पताल या केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के तत्वावधान में वन्ध्यीकरण प्रमाण-पत्र जारी होना चाहिए। जहां यह संभव नहीं है पोर्ट अस्पताल या केन्द्रीय सरकार द्वारा किसी मान्यताप्राप्त संस्थान द्वारा किया गया वन्ध्यीकरण आपरेशन तथा जारी किया गया प्रमाण-पत्र पर्याप्त होगा।

(4) पोर्ट कर्मचारी द्वारा या उसकी पत्नी/उसके पति दोनों में से किसी के द्वारा वन्ध्यीकरण आपरेशन कराया जा सकता है बशर्ते कि क्रम सं० 1 से 3 की शर्तें पूरी होती हों।

सचिव

कांडला पोर्ट ट्रस्ट

MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT

(Ports Wing)

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th January, 1985

G.S.R. 15(E).—In exercise of the powers conferred sub-section (1) of section 124 read with sub-section (1) of section 132, of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby approves the Kandla Port Employees (Grant of Advances for Building Houses) Amendment Regulations, 1985 as set out in the Schedule attached.

2. The said regulations shall come into force from the date of this Notification in the Official Gazette.

Note : Principal Regulations approved by the Central Government vide Notification Published as GSR No. 1217 dated 15-9-79 in the Gazette of India, Part-II Section 3(i), dated 29th September, 1979.

[F. No. PW/PER-11/84]
P.V. RAO, Jt. Secy.

SCHEDULE

KANDLA PORT TRUST

Administrative Office,
Post Box. No. 50,
Gandhidham (Kachchh)

Dated :

No. GA/BL/2710

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by Section 28 of the Major Port Trusts Act, 1963, the Board of Trustees of the Port of Kandla have made the following regulations with the approval of the Central Government which is published in accordance with Section 124 of the Major Port Trusts Act, 1963.

1. These regulations may be called the Kandla Port Employees (Grant of Advances for Building Houses) Amendment Regulations, 1985.

AMENDMENTS

"2. Substitute the following for the existing Regulations 6(a) 6(b), 6(d) 7 and 9 of the Kandla port Employees (Grant of Advances for Building Houses) Regulations, 1978 :

"6(a) The cost of the house to be built/ purchased excluding the cost of plot shall be restricted to the following ceilings :—

Category	Cost Ceiling
(1) For employees whose 100 months' basic pay is upto Rs. 80,000/-	Rs. 1.25 lakhs.
(2) For employees whose 100 months basic pay exceeds Rs. 80,000/- but is upto Rs. 1,70,000	Rs. 2.00 Lakhs
(3) For employes whose 100 months basic pay exceed Rs. 1,70,000/-	Rs. 3.00 lakhs"

"6(b) Where a port employee makes or has made a final withdrawal from his provident Fund Account in connection with the construction/acquisition of a house/flat or a residential plot in addition to availing of an advance under these Regulations, the total of the advance sanctioned under these regulations and the withdrawal from the provident Fund, should not exceed 100 times the monthly pay, etc. or Rs. 1.25 lakhs, whichever is less."

"6(d) The actual amount of advance will be determined by Chairman on the basis of the plans, detailed specification and estimates to be furnished by the applicant, justifying the amount of individual advance applied for, and shall be restricted to the estimated cost of construction within the prescribed ceiling. The amount of advance will further be restricted to the amount which an employee can repay partly from the Special Contribution to the provident Fund or in the case of an employee governed by the pension, Scheme, from his gratuity or D.C.R.G., and or partly by individual monthly deductions from his pay before the date of his superannuation."

"7 An advance not exceeding an amount equal to 100 times the monthly pay including officiating pay, dearness pay, personal pay and special pay, subject to a maximum of Rs. 1,25,000/ may be granted by the Chairman for the construction/purchase of a house/flat."

INTEREST :

"9. Advances granted under these regulations on and from 26th February, 1983, shall carry simple interest from the date of payment of advance, the amount of Interest being calculated on the balances outstanding on the last day of each month. The interest payable on the advances sanctioned in any year shall be at the same rates which the Government of India charges or house building advances to their employees in that year. The rate of interest at the time of sanction of the advance will remain unchanged till the advance is fully repaid. Rebate as allowed by the Central Government to their employees will be allowed to the employees of the Board in case all the conditions relating to sanction including those relating to recovery are fulfilled completely to the satisfaction of the sanctioning authority.

Note : The rate of interest to such employees who undergo for sterilisation will be half percent less than the normal rate of interest with effect from 26th February, 1983. This concession will be subject to the following conditions :—

(1) The port employee must be within the reproductive age group. In the case of a male port employee, this would mean that he should not be over 50 years and his wife should be between 20 to 45 years of age. In the case of a female port employee she must not be above 45 years and her husband must not be over 50 years of age.

(2) The port employee should have two or three living children.

(3) The sterilisation operation must be conducted and the sterilisation certificate must be issued by the Central Government Hospital or under the auspices of the C.G.H.S. Where this is not possible, the sterilisation operation must be conducted and the sterilisation certificate issued by a Port Hospital or an institute recognised by the Central Government for this purpose will suffice.

(4) The sterilisation operation can be undergone either by the port employee or his/her spouse provided the conditions at sr. Nos 1 to 3 above are fulfilled.

Secretary
Kandla Port Trust

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1985